संख्या-8/2015/409/18-4-2015-2(बजट)/14

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च,2015

विषयः भदोही में कारपेट बाजार की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-630/13-हस्त0/बीडा/2014-15, कानपुर, दिनांक 01-10-2014 तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही के पत्र संख्या-बीडा/तकनीकी-दो ()/5426, दिनांक 04-11-2014 के संदर्भ में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भदोही में कारपेट मार्ट की स्थापना के सम्बंध में प्रस्तुत आगणन रू0 20653.51 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (पी0एफ0ए0डी0) के मूल्यांकन तथा व्यय वित्त समिति के विचारोपरान्त उक्त् प्रायोजना की संशोधित लागत रू0-12478.00 लाख मूल्यांकित की गयी है।

2- उक्त तथ्यों के दृष्टिगत भदोही में कारपेट मार्ट की स्थापना हेतु उक्त प्रायोजना हेतु आंकलित लागत रू0-12478.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख ( रूपये पन्द्रह करोड मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

3- उक्त स्वीकृत धनराशि में से भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा उक्त प्रायोजना हेतु उपलब्ध करायी जा रही भूमि जिसका क्षेत्रफल 31605.77 वर्ग मीटर है, के मूल्य की धनराशि रू0-5,54,22,173.00 (रूपये पांच करोड चौवन लाख बाईस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) की धनराशि का भुगतान भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4-प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा निर्माण से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा ।

5- प्रायोजनान्तर्गत ट्रान्फार्मर, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, लिफ्ट, वी0सी0बी0 पैनल ए0एम0एफ0 पैनल, ई0पी0बी0ए0एक्स सिस्टम, सेप्टी इक्यूपमेंट, सी0सी0 टी0वी0, सोलर लाइट आदि की स्थापना हेतु प्रयुक्त दारों के सम्बंध में कार्यदायी संस्था क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेगी तथा प्रोप्राइटरी श्रेणी के सम्बंध में क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा ।

6- मिट्टी की लागत के सम्बंध में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी कमेटी से मिटटी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समुचित निर्णय सक्षम स्तर (शासन) से लिया जायेगा ।

7- प्रायोजनान्तर्गत आन्तरिक रोड, सीवर लाईन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेन, हार्टीकल्चर आपरेशन, पेरीफिरल ग्रिड, अण्डर ग्राउण्ड टैंक, ओवर हेड टैंक, स्ट्रीट लाईट, ई0पी0ए0वी0एक्स0 सिस्टम, ओवर हेड लाइन, अर्थ प्रोटेक्शन, सेफ्टी एक्यूपमेंट, सी0सी0 टी0वी0, सोलर लाईट आदि कार्यमदों हेतु डी0एस0आर0/एक मुश्त आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है । अतः निर्माण से पूर्व इन समस्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन का गठन जनपद के अनुसूची दरों पर किया जायेगा एवं गठित आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

8- प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं कार्यो की प्रगति का सतत अनुश्रवण करते हुए अनुश्रवण एवं संस्तुतियॉ सहित फीडबैक की सूचना व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ पी0एफ0ए0डी0 एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

9- प्रश्नगत प्रायोजना का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा इसके अतिरिक्त वित्त व्यय समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राईग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर 03 माह के अंदर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात् पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नही हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

11- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन किया जायेगा तथा उक्त धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित कर व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

12- योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत-कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2457-दस/2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में दिये गये निर्देशानुसार जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेश के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी 13-एम-में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

14- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार-(लेखा-परीक्षा)-1एवं2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15- प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

16- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-104-हस्तशिल्प उद्योग-03 संतरविदास नगर (भदोही) में कारपेट बाजार-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-166/दस-2015, दिनांक 25,मार्च,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

( अरविन्द कुमार सिंह )
विशेष सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2015/409(1)/18-4-2015-2(बजट)/14 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1) सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- मण्डलायुक्त, वाराण्सी ।

5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।

6-परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, जिला कारागार एवं निर्माण इकाई, आजमगढ।

7-जिलाधिकारी, संतरविदास नगर-भदोही।

8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण-भदोही।

9-कोषाधिकारी, संतरविदास नगर-भदोही/कानपुर

10- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।

11- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

12-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

13-नियोजन अनुभाग-4

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( आर0ए0 सिंह )

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।